



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50977

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8220 वर्ष 2026

बाबूलाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	भाजू राम प्रसाद शर्मा, मूल चन्द्र
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील फरेंदा, जनपद महाराजगंज को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 12225 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202505470412225) का निर्णय यथाशीघ्र करें।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दीर्घकाल से लंबित है। इस चरण पर नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जिसके अनुसार ऐसे प्रार्थना-पत्र पर सक्षम प्राधिकारी को विधि के अनुसार समयबद्ध अवधि में निर्णय करना आवश्यक है। उक्त उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के निर्विवाद वाद का निस्तारण वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर तथा विवादित नामांतरण वाद का निस्तारण 90 दिवस की अवधि के भीतर किया जाए, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण नहीं होती है, तो इसके कारण अभिलेखित किए जाएंगे।”

5. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील फरेंदा, जनपद महाराजगंज को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थना-पत्र को ग्रहण कर उसके गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से एवं अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करें, किन्तु अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 12 मार्च, 2026

साकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।